उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-72/2020/1096/92-2-20-18एम//2018

लखनऊ:: दिनांक:: 04 जून 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग जनपद संतरविदास नगर (भदोही) में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत 03 प्रमुख मार्गो के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं की मुख्य प्राविधिक परीक्षक टी0ए0सी0 की जांच आख्या दिनांक 18-04-2019 व 20-05-2019 में परिलक्षित अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1303/ 92-2-19-18एम/2018 दिनांक 24.06.2019 द्वारा श्री विष्णु कुमार, तत्का0 सहायक/अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-संतरविदास नगर (भदोही) सम्प्रति पीआईयू-अमरोहा के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता(पू0क्षे0), ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-1027/दिनांक 29-11-2019 द्वारा श्री विष्णु कुमार को व्यक्तिगत/ मौखिक सुनवाई हेतु दिनांक 04-12-2019 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी थी परन्तु उक्त तिथि को न तो अपचारी अधिकारी जांच अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हुये और न ही अपना कोई बचाव उत्तर दिया गया।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) के पत्र सं0-844/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/जन0-भदोही/एस0टी0-272/19-20 दिनांक 17-10-2019 व पत्र सं0-1057/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/जन0-भदोही/एस0टी0/272/2019-20 दिनांक 04-12-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी, श्री विष्णु कुमार पर अधिरोपित सभी 03 आरोप पूर्णरूप से स्थापित पाये जाने पर शासन के पत्र सं0-2808/92-2-19-18एम/18 दि0 11-12-2019 से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत श्री विष्णु कुमार का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्रसं0-1249/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/ज0-भदोही/19-20 दिनांक 26-12-2019 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन का विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत चौरी से महाराजगंज सम्पर्क मार्ग में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित रखने के लिये जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित ग्रेडिंग का स्टोन बैलास्ट से जी0-3, जी0-2 का कार्य, निर्धारित मोटाई में नहीं किया गया, निंग मैटेरियल निर्धारित मानक से अधिक प्रयुक्त किया गया। कैम्बर निर्धारित मानक से अधिक देते हुये कार्य कराया गया। गुणवत्ता विहीन मिटटी से अधोमानक कार्य कराया गया। मानक विशिष्टयों के विपरीत एवं गुणवत्ता विहीन के0सी0 ड्रेन का कार्य कराया गया। इस प्रकार आप योजना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने, निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य न कराकर, अधोमानक कार्य करवाने, कार्य एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधीनस्थों पर नियंत्रण न रखने के लिये उत्तरदायी पाये जाते है, जिसके लिये आपको आरोपित किया जाता है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

अपचारी अधिकारी द्वारा कोई बचाव उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

जांच अधिकारी की विवेचना/निष्कर्ष

जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध अभिलेखों/पठनीय साक्ष्यों के आधार पर निर्माण कार्य में टी0ए0सी0 द्वारा चेक किये गये चैनेजों पर श्री विष्णु कुमार को सहायक अभियंता एवं अधिशासी अभियंता के रूप में कराया जाना परिलक्षित हुआ है। उक्तानुसार कार्य में निर्धारित ग्रेडिंग का स्टोन बैलास्ट, जी-2 एवं जी-3 का कार्य, निंग मैटेरियल का कार्य, कैम्बर का कार्य एवं मिटटी का कार्य निर्धारित मानक के अनुसार न होने के आधार पर आरोप पूर्ण रूप से स्थापित होना उल्लिखित किया गया है।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि स्पेशल एस0क्यू0एम0 की जांच आख्या के आधार पर मार्ग की लेपित सतह तथा पटरी में मिटटी कार्य संतोषजनक स्थिति में पाया गया। मार्ग की चौडाई, कैरिजवें की चौडाई तथा कैम्बर ठीक पायी गयी। परीक्षणों के अनुसार निर्माण सामग्री एवं पटरी के निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानको के अनुरूप पायी गयी। निर्माण सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता ज्ञात करने हेतु किमी तीसरे, आठवे तथा तेहरवें किमी0 में जी0एस0बी0, जी-2, जी-3 एवं बी0टी0 की सतह खुदवाकर तथा पटरी में मिटटी कार्यो के टेस्ट किये गये। अत: एस0क्यू0एम0 द्वारा जांच आख्या में मार्ग के निर्माण कार्य की गुणवत्ता यूपीआरआरडीए के मानको के अनुरूप पायी गयी।

आरोप संख्या-2

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत जी0टी0 रोड से त्रिलोकपुर महथुवा जगदरी असनांव तक सम्पर्क मार्ग में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित रखने के लिये जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित ग्रेडिंग का स्टोन बैलास्ट से जी0-3, जी0-2 का कार्य, निर्धारित मोटाई में नहीं किया गया, निंग मैटेरियल निर्धारित मानक से अधिक प्रयुक्त किया गया। योजना की दिशा निर्देश के विपरीत कम चौडाई में रोड वे का कार्य कराया गया। गुणवत्ता विहीन मिटटी से अधोमानक कार्य कराया गया तथा मार्ग पर पूर्व निर्मित पुलिया की चौडाई को योजना के मानक के अनुसार मार्ग के एलाईमेंट के अनुरूप नहीं बढाया गया। इस प्रकार से आप योजना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने, निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य न कराकर, अधोमानक कार्य करवाने, कार्य एवं अधीनस्थों पर नियंत्रण न रखने के लिये उत्तरदायी पाये जाते है, जिसके लिये आपको आरोपित किया जाता है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

अपचारी अधिकारी द्वारा कोई बचाव उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

जांच अधिकारी की विवेचना/निष्कर्ष

इस आरोप में निर्धारित ग्रेडिंग का स्टोन बैलास्ट से जी0-3, जी0-2 का कार्य, निर्धारित मोटाई में न कराने, निंग मैटेरियल निर्धारित मानक से अधिक प्रयुक्त करने, कम चौडाई में रोड वे का कार्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

करवाने, गुणवत्ता विहीन मिट्टी से अधोमानक कार्य कराने, तथा मार्ग पर पूर्व निर्मित पुलिया की चौडाई को योजना के मानक के अनुसार मार्ग के एलाइमेंट के अनुरूप न बढाने जाने का आरोप स्थापित होना पाया गया है।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि स्पेशल एस0क्यू0एम0 की जॉच आख्या के आधार पर मार्ग की लेपित सतह तथा पटरी में मिटटी कार्य संतोषजनक स्थिति में पाया गया। मार्ग की चौडाई, कैरिजवें की चौडाई तथा कैम्बर ठीक पायी गयी। परीक्षणों के अनुसार निर्माण सामग्री एवं पटरी के निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानको के अनुरूप पायी गयी। निर्माण सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता ज्ञात करने हेतु किमी0 तीसरे, आठवें तथा तेहरवें किमी0 में जी0एस0बी0, जी0-2, जी-3 एवं बी0टी0 की सतह खुदवाकर तथा पटरी में मिटटी कार्यो के टेस्ट किये गये। अत: एस0क्यू0एम0 द्वारा जॉच आख्या में मार्ग के निर्माण कार्य की गुणवत्ता यूपीआरआरडीए के मानको के अनुरूप पायी गयी। अत: की गयी शिकायत की पुष्टि नही होती है।

मार्ग पर पूर्व निर्मित पुलिया सिचाई विभाग द्वारा बनाया गया था जिसे तोडकर पुन बनाये जाने की अनुमति सिंचाई विभाग से प्राप्त न होने के कारण पूर्व निर्मित एलाइमेंट पर ही उच्चीकरण का कार्य कराया गया था।

आरोप संख्या-3

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत माधोसिंह जी0टी0 रोड से खमरिया होते हुये टेढवा एल0डी0 रोड तक सम्पर्क मार्ग में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित रखने के लिये जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित ग्रेडिंग का स्टोन बैलास्ट से जी0-3, जी0-2 का कार्य, निर्धारित मोटाई में नहीं किया गया। इस प्रकार से आप योजना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने, निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य न कराकर, अधोमानक काय्र करवाने, कार्य एवं अधीनस्थों पर नियंत्रण न रखने के लिये उत्तरदायी पाये जाते है, जिसके लिये आपको आरोपित किया जाता है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आरोप अपचारी अधिकारी पर स्थापित होता है।

जांच अधिकारी की विवेचना/निष्कर्ष

इस आरोप में निर्धारित ग्रेडिंग का स्टोन बैलास्ट से जी0-3, जी0-2 का कार्य, निर्धारित मोटाई में न करने, योजना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने, निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य न कराकर, अधोमानक कार्य करवाने, कार्य एवं अधीनस्थों पर नियंत्रण न रखने का आरोप स्थापित होना पाया गया है।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि स्पेशल एस0क्यू0एम0 की जॉच आख्या के आधार पर 0.0 किमी0 से 1.80 किमी तक 5.50 मी0 चौडाई में जी-2 एवं जी-3, पी0सी0 एवं सीलकोट का कार्य होना पाया गया तथा 4.60 किमी से 6.00 किमी तक 3.75 मी0 चौडाई में जी0एस0बी0, जी-2 एवं जी-3, पी0सी0 एवं सीलकोट का कार्य पूर्ण पाया गया तथा इसी भाग में पटरी पर मिटटी का कार्य पूर्ण पाया गया तथा मिटटी कार्य पर कम्पैक्शन हेतु रोलर चलाया गया है। मार्ग की चौडाई, कैरिजवे की चौडाई तथा कैम्बर ठीक पायी गयी। परीक्षणों के अनुसार निर्माण सामग्री एवं पटरी के निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पायी गयी। मार्ग के निर्माण कार्य की सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता ज्ञात करने हेतु किमी0 .00 से 1.00 तथा 5.00 से 6.00 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जी0एस0बी0 जी0-2, जी-3 के ग्रेडेशन टेस्ट तथा पटरी में मिटटी कार्य के कम्पैक्शन टेस्ट किये गये। अत: एस0क्यू0एम0 द्वारा अपनी जॉच आख्या में मार्ग के निर्माण कार्य की गुणवत्ता यूपीआरआरडीए के मानको के अनुरूप पायी गयी। अत: की गयी शिकायत की पुष्टि नहीं होती है।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी, श्री विष्णु कुमार द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 जांच आख्या दि0 18-04-2019 के अनुसार निर्धारित ग्रेडिंग का स्टोन बैलास्ट से जी0-3, जी0-2 का कार्य, निर्धारित मोटाई में न करने, योजना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने, निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य न कराकर, अधोमानक कार्य करवाने, कार्य एवं अधीनस्थों पर नियंत्रण न रखने का आरोप स्थापित होना पाया गया है। अतएव श्री विष्णु कुमार, तत्का0 सहायक/अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, पीआईयू-संतरविदास नगर (भदोही) सम्प्रति अधिशासी अभियंता प्रखण्ड-अमरोहा के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-06-2019 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को निम्न्वत दण्ड प्रदान करते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"जनपद-संतरविदास नगर (भदोही) में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में निर्धारित ग्रेडिंग का स्टोन बैलास्ट से जी0-2 का कार्य योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार न कराये जाने की अनियमितता हेतु वर्ष 2020-21 के लिये प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जाती है। "

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-72 /2020/1096/(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0।
2- श्री विष्णु कुमार, तत्का0 सहायक/अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, पीआईयू-संतरविदास नगर (भदोही) सम्प्रति अधिशासी अभियंता प्रखण्ड-अमरोहा द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in